

**मांग संख्या 53**  
**मुख्य शीर्ष 2217**

**मद क्रमांक 1**

नगरीय निकायों का विशिष्ट प्रयोजनार्थ विकास कार्य हेतु अनुदान के लिए रूपये 500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 5,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मुख्य शीर्ष 6217**

**मद क्रमांक 2**

नगरीय निकायों में विशिष्ट प्रयोजनार्थ विकास कार्यों के लिये ऋण हेतु रूपये 1000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 10,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मांग संख्या 69  
मुख्य शीर्ष 2217

मद कर्मांक 1

आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत अग्निशमन वाहन इत्यादि हेतु रूपये 400.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 4,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मांग संख्या 81**  
**मुख्य शीर्ष 2217**

**मद क्रमांक 1**

1. 59 नवीन नगर पंचायतों को अनुदान (प्रत्येक नगर पंचायत के लिये रूपये 25.00 लाख) हेतु रूपये 1475.00 लाख तथा नगर पालिक निगमों हेतु राशि रूपये 3300.00 लाख एक बार एकमुश्त अनुदान हेतु व्यय संभावित है ।

2. नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास कार्यों पर राशि रूपये 2500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 72,75,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 2**

नगरीय निकायों का विशिष्ट प्रयोजनार्थ विकास कार्य हेतु अनुदान के लिए रूपये 450.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 4,50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मुख्य शीर्ष 3604**

**मद क्रमांक 3**

प्रथम राज्य वित्त आयोग की अनुशांसानुसार नगरीय निकायों को सामान्य उद्देश्यीय अनुदान पर रूपये 1000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 10,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 4**

प्रथम राज्य वित्त आयोग की अनुशांसानुसार मनोरंजन कर की राशि से नगरीय निकायों को अनुदान दिये जाने हेतु रूपये 927.25 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 9,27,25,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मुख्य शीर्ष 6217**

**मद क्रमांक 5**

नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास के लिए ऋण तथा अग्रिम हेतु रूपये 2500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 25,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 6**

नगरीय निकायों का विशिष्ट प्रयोजनार्थ ऋण तथा अग्रिम मद में रूपये 750.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 7,50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।